श्री बलराम जाखड़

इतना ही करके किया है। इसमें बात सिर्फ छोटी सी थी, नाम बड़ा हो गया और नयी सीड पौलिसी की भी कोई भ्रांति पैदा हो गयी। उस भ्रांति को दूर करना है। यह तो सिर्फ इतना ही है कि हमारे पास साधन बने रहें और आपके हितों की रक्षा करते रहें। आपने जो भूमि की बातें कही और दूसरी बातें कही, तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि भूमि के बगैर तो उत्पादन होगा नहीं और भूमि ऊसर रहेगी, तब भी उत्पादन नहीं होगा, भूमि में सिंचाई नहीं होगी तब भी उत्पादन नहीं होगा। अत: उसका जो काम करना है वह आपने और हमने मिलकर पैसे के अनुसार करना है, जो हमारी जेब में होना चाहिए भगवान ने चाहा तो अगले साल ज्यादा पैसा होगा। फिर उसके उत्पादन के लिये करेंगे। आप भी किसान हैं, मैं भी किसान हूं, चिंता मत कीजिये और बिल्कुल निश्चित होकर करिये। कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे आपका और देश का अहित हो। इसलिये मैं चाहूंगा कि आप इस बिल को पास करदें।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): The question is:

That the Bill further to amend the Destructive Insects and Pests Act, 1914, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 4 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI BALRAM JAKHAR: Sir, I move:

That the Bill be passed.

The question was put and the motion was adopted.

CLARIFICATIONS ON THE STATEMENT MADE BY THE MINISTER RE. PRICE POLICY FOR RABI CROPS TO BE MARKETED IN 1992-93 SEASON

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Before I wish you for "Holi" festival, there are some clarifications on the statement made by the Minister of State in the Ministry of Agriculture.

SHRI S. S. AHLUWALIA (Bihar): On Monday, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): There are only four or five clarifications. Let us finish it. Shri Ram Naresh Yadav.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): Yes, Sir, we will finish now in ten minutes. You give five minutes for asking clarifications and five minutes for answering.

श्री राम नरेश यादव (उत्तर प्रदेश) माननीय मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है और जिस तरह से दाम निर्धारित करके सदन के अंदर घोषणा की है किसानों के लिए, यह कुछ हद तक तो उचित है लेकिन जैसे गेहूं के दाम के लिए कहा गया है कि 225 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से 25 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। वैसे ही जौ के दाम में 10 रुपए बढ़ाए गए हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस समय जो हमारे देश का किसान है, उसकी जो वास्तविक इनकम है वह दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। जहां पर 1970-71 में 445.60 रुपए थी, 1988-89 में वह घटकर 420 रुपए हो गई। कहने का मतलब यह है कि 5.7 परसेंट

एग्रीकल्चर की प्रति व्यक्ति आय कम हुई है। दूसरी तरफ गैर-कृषि क्षेत्रों में जो लोग लगे हुए हैं उनकी आमदनी भी जहां पर 1970-71 में 971.80 रुपए थी, वह 1988-89 में बढ़कर 1783 रुपए हो गई यानी 83.6 फीसदी की वृद्धि हुई है।

इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि जब पिछली बार गेहूं के दाम तय हुए और फिर बीच में आकर वह दाम साढ़े पांच रुपया हो गया, उसी तरह से अरहर के दाम भी बढ़े और दाल 6 रुपए किलो थी, वह बढ़ते-बढ़ते 12 रुपए किलो हो गई। जिस तरह से दाम में दोगुनी वृद्धि हुई है एक फसल में, जब आपने दाम तय किया और उसके बाजार मूल्य में जो वृद्धि हुई है, क्या दाम तय करते समय दो फसलों के बीच के समय में जिस तरह से उन चीजों के दाम बढ़े हैं, उसको ध्यान में रखते हुए क्या आपने दाम तय करने की प्रक्रिया को अपनाया है?

दूसरा मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस तरह से इनपुट्स बढ़े हैं जैसे इंसैक्टिसाइड है, सिंचाई है, लेबर है। अब तो वेजेज़ ऐक्ट के आधार पर दैनिक मजदूरी भी बढ़ गई है किसानों की तो मैं जानना चाहता हूं कि जिस तरह से इनपुट्स के दाम बढ़े हैं, उसको भी सरकार ने दाम निर्धारित करते समय ध्यान में रखा है या नहीं।

तीसरी बात यह है कि जो हमारी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्होंने भी जो सारी फसलें हैं रबी की, उनके दाम निर्धारित किए हैं। वे भी हिसाब लगाती हैं कि कितना खर्चा पड़ता है। तो मैं जानना चाहता हूं कि कितनी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज थीं, जैसा कि आपने बताया कि गहूं का दाम 250 रुपया आपने तय किया और उन लोगों ने 300 रुपए या उससे ज्यादा बताया। क्या इस बात को सरकार ने ध्यान में रखा है? यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि जैसी किसानों की स्थिति है, उनके साथ जस्टिस होना चाहिए, उनके साथ जस्टिस नहीं हुआ है। इन सवालों का मैं माननीय मंत्री जी से उत्तर चाहता हूं। किसानों के साथ न्याय होना चाहिए। अगर न्याय नहीं होगा तो निश्चित रूप से जिस तरह से आमदनी घटी है तो वह बेचारे जो देश की रीढ़ हैं, अगर वह कमजोर होगी तो देश खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए किसान को खड़ा रखने के लिए, देश के सम्मान को बचाए रखने के लिए आपका प्रयास होना चाहिए। बाहर से भी एक मिलियन टन गेहूं मंगाने की बात हो रही है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार मेरे इन प्रश्नों का उत्तर देगी। मेरा अभी भी विश्वास है कि माननीय मंत्री जी इस बारे में सोचेंगे और इसके दाम को बढ़ाएंगे ताकि किसानों के साथ अन्याय न हो।

श्रीमती मीरा दास (उड़ीसा): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगी कि जो गेहूं की सपोर्ट प्राइस इन्होंने बढ़ाई है, इसमें छोटे किसानों को कुछ फायदा होगा या नहीं। मेरे ख्याल से जो छोटे किसान हैं वे अपने खाने के लिए, अपने खर्चे के लिए ही पैदा करते हैं, बेचने के लिए नहीं। तो मेरे ख्याल से इसमें इन लोगों को कुछ फायदा नहीं होने जा रहा है। इस बारे में माननीय मंत्री जी के क्या विचार हैं?

SHRI RAMNARAYAN GOSWAMI (West Bengal): Sir, an Expert Committee under the chairmanship of Prof. Hanumantha Rao had been set up to review *inter alia* the methodology for estimation of the cost of production of crops. The Expert Committee has submitted its final report. I want to know whether the CACP has agreed to implement the recommendations of the Expert Committee and whether the present announcement of support price which the Minister made yesterday is on the basis of the Expert Committee's recommendations.

Secondly, is it not a fact that even with the present enhancement of sup-

[Shri Ram Narayan Goswami]

port price of wheat, prices of wheat in the American market are more than double the prices in our country? Does he still intend to import wheat?

Regarding procurement, unless the market price is brought down, the procurement target will not be fulfilled at this stage. I want to know from the Minister what are the steps taken by the Government to check market price.

SHRI K. G. MAHESHWARAPPA (Karnataka): Sir, fixing up of minimum price, I consider, is a futile exercise because in the open market, the prices are more and the farmers get more remunerative prices. At no time, the commodity price has gone below the price now fixed. Even with regard to sugarcane, the minimum price fixed is far less than the minimum price fixed in the open market. The minimum price fixed by the State Government is more than what you have indicated here. Therefore, this kind of enhancement of Rs. 20 is just an eye wash and is not welcomed by the farmers. It is better not to fix the minimum price in the interest of farmers. That is my objection.

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का आभार प्रदर्शित करता हूं कि चलिए थोड़ा ही सही, लेकिन किसानों की पैदा की हुई चीजों का दाम तो उन्होंने बढ़ाया। लेकिन दो स्पष्टीकरणों पर मैं आपसे आश्वासन चाहता हूं।

पहला तो यह कि अनाज के दाम तो आपने बढ़ा दिए लेकिन किसान जब अपना गल्ला लेकर खरीद केन्द्र पर जाता है तो लाइन में लगना पड़ता है और अनेक प्रकार की त्रुटियां पैदा करके उसको कम मूल्य पर अपना माल देने को बाध्य किया जाता है? क्या आप इसको चैक करेंगे कि किसानों को दाम भी सही मिलें और खरीद केन्द्रों पर उसका माल लेने में कठिनाई पैदा न की जाए? महोदय, अभी बाजार में 6, 7 या 8 रुपए किलो आटा बिक रहा है। हमारे देश के गरीब मजदूर और अल्प वेतन भोगी कर्मचारी बहुत से ऐसे हैं जिनको दो वक्त रोटी भी पूरी नहीं मिल पाती। जहां किसानों को इससे फायदा होगा, बाजार में गेहूं और आटा इसी दाम पर या इससे मंहगा पहुंचाएंगे तो भूख से मरने वालों की संख्या भी बढ़ेगी और अल्प वेतन भोगी कर्मचारी, गरीबों और मजदूरों पर इसका बुरा असर पड़ेगा। तो क्या जो वितरण प्रणाली है, आपकी सस्ते गल्ले की दुकानें हैं उनके माध्यम से आप गल्ला उचित दाम पर पहुंचाना चाहते हैं? क्या उसके दाम तो आप नहीं बढ़ाएंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे लोगों को जो नीडी हैं, उनको गेहूं का आटा उचित समय पर और उचित दाम पर आवश्यकता के अनुसार मिलेगा?

SHRI M. PALANIYANDI (Tamil Nadu): Sir, the Hanumantha Rao Committee has recommended support price for paddy and rice also. But in the statement, I have not seen the support price for rice and paddy. This is what I want to know from the hon. Minister.

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे मुल्क में खाद्य पदार्थों की प्रोक्योरमेंट पैरलल दो तरीके से होती है। एक तो सरकारी तौर से और दूसरे ग्रेन मर्चेंट करते हैं। आपने तो कीमत बढ़ाई लेकिन पिछले वर्ष हम देख रहे थे कि जब देवीलाल जी उप प्रधान मंत्री थे तो उन्होंने ऐसा माहौल बना दिया था कि शायद गेहूं की कीमत बहुत बढ़ने जा रही है जिसके कारण किसानों ने सरकार के गोदामों में अपना गल्ला नहीं दिया, उस प्रोक्योरमेंट प्राइस को ऐक्सेप्ट नहीं किया। वे इसी दिलाशा में रहे कि उन्हें अच्छी कीमत मिलने वाली है जिसके कारण प्रोक्योरमेंट कम हुआ। इसके कारण बफर स्टॉक कम हुआ जिसके कारण

आज हम गेहूं इंपोर्ट करने की बात सोचते हैं। क्या मंत्री महोदय यह आश्वासन सदन को देंगे कि जो ग्रेन मरचेंट हैं उनकी कीमत आपके प्रोक्योरमेंट प्राइस 5.00 P.M. से करीब डेढ़ गुनी ज्यादा है आज की डेट में भी। जैसा कुछ सदस्यों ने कहा कि हमारे सरकारी प्रोक्योरमेंट अफसर के पास बड़ी-बड़ी लाइनों में रात-दिन किसानों को खड़े रहना पड़ता है। वहां गल्ला ग्रेन मर्चेन्ट जो हैं उसके दलाल आकर या कमीशन एजेंट आकर गांव से ले जाते हैं। सारे साल उसी से लेना-देना लगा रहता है। बीज खरीदने के लिए, फर्टीलाइजर खरीदने के लिए पैसा उधार मिलता है तो पहले उन्हीं को ऑब्लाइज करते हैं। इसको रोकने के लिए, इसको चैक करने के लिए आपने क्या किया? आज की डेट में हम महंगाई-महंगाई चिल्लाते हैं। हर चीज बाजार में उपलब्ध है किन्तु वह महंगी है। आपको जितनी चीज चाहिए उपलब्ध है। इसी प्रकार से प्रोक्योरमेंट करते वक्त भी वह ज्यादा प्राइस देकर वहां से प्रोक्योर करते हैं। उस पर कोई रोक लगाने के लिए आपने प्रावधान रखा है? आपने कोई अंकुश लगाने के लिए कोशिश की है? कोई इंटेलीजेंस टीम बैठाई है? किस तरह से रोकेंगे? जब तक इसको नहीं रोकेंगे तब तक आपका प्रोक्योरमेंट कम होता रहेगा। ऑपन मार्किट में ज्यादा माल महंगी दर पर जाता रहेगा। इससे महंगाई बढ़ती रहेगी। इसको रोकने के लिए आपके पास क्या उपाय हैं?

श्री रफीक आलम (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में दो तरह की काश्त होती है। एक तो वह है जो काश्तकार पैदा करता है और दूसरा यह कहता है कि बगैर पैदा किये हुए हम कंज्यूमर को देते हैं, वे हैं ब्लेक मार्केटियर्स और होर्डर्स। जब तक ब्लेक मार्केटियर्स और होर्डर्स को कंट्रोल नहीं किया जायेगा प्राइस कभी भी कम नहीं हो सकते। कंज्यूमर की सबसे बड़ी प्रोब्लम ब्लेक मार्केटियर्स और होर्डर्स हैं। काश्तकार जो खरीदता है उसको भी इन्हीं से खरीदना पड़ता है जो कभी खेत में नहीं जाता। उनके खिलाफ सरकार क्या कार्रवाई कर रही है।

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़): उपसभाध्यक्ष महोदय, जो कुछ माननीय सदस्यों ने पूछा है उसके लिए मुझे निवेदन करना है कि इतनी सी बात है कि दोनों बातों को हमें बराबर रखकर संतुलन करना है। राम नरेश यादव जी ने कहा कि क्या आपने देखा है कि बाजार में जो बिकता है वह दूसरा है। और एक माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि करो ही मत, सपोर्ट प्राइस को अनाउन्स ही मत करो। इन सारी बातों को देखने के पश्चात ऐसा लगता है कि हम थोड़ा विचार ध्यान से करें तो हमारी समझ में आ जायेगा कि क्यों करें। मैं राम नरेश यादव जी से कहना चाहता हूं कि बात यह है अगर संतुलन बनाना है तो हमें देखना पड़ेगा किन-किन कारणों से हमने क्या-क्या प्रकरण किये हैं जिससे इस भाव पर हम पहुंचे हैं। उसके लिए पूरा एक आयोग बनाया है। वह आयोग ऐसा है जिसमें किसान भी है और दूसरे हमारे साथी भी हैं, विशेषज्ञ भी हैं। प्रश्न यह है कि हम किन-किन बातों को ध्यान में रखते हैं। (व्यवधान)

श्री संघ प्रिय गौतम: बाहर बहुत शोर हो रहा है, आपकी पार्टी के ही हैं।

श्री बलराम जाखड़: शोर मचाने वाले किसी पार्टी के नहीं होते। उनकी अपनी पार्टी होती है। वह शोर मचाऊ पार्टी होती है।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलूवालिया: मैं तो अंदर बैठा हूं, बाहर कौन शोर मचा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री बलराम जाखड़: मैं यह कह रहा था कि जैसा आपने कहा है सारी बातों को हमने ध्यान किया है। जो हमारा आयोग है जिसने यह बनाया है सारे का सारा, किस प्रकार से निष्कर्ष

[श्री बलराम जाखड़]

पर पहुंचे उसके लिए मैंने पहले बताया कहें तो मैं सारा फिर दोहरा देता हूं। उसमें किसी चीज को छोड़ा नहीं गया है : cost of production, changes in input prices, input-output price parity, trends in market prices, demand and supply, inter-crop price parity, effect on industrial cost structure, effect on general price level, effect on cost of living, international market price situation and parity between prices paid and prices received.

It will thus be seen that while fixing support/procurement prices, it is ensured that it covers cost of production and also provides a reasonable margin of profit to give incentive to farmers for investment and adoption of improved technology.

"The cost of cultivation or production taken into account includes all paidout costs, such as, those incurred on account of hired human labour, bulock labour or machine labour (both hired and owned) and rent paid for leased-in land besides cash and kind expenses on use of material inputs, *e.g.*, seed, fertilizers, manures, pesticides, irrigation charges, including cost of diesel or electricity for operation of pumpsets. Besides, cost of production includes imputed value of family labour. The cost also covers depreciation of farm machinery and buildings. As such, the cost of production covers not only paid-out costs but also imputed value of owned assets including land and family labour for which the farmers do not incur cash expenses."

इन बातों को देख कर किया जाता है। यह कोई प्रोक्योरमेंट प्राइस जबर्दस्ती की नहीं है। मैं उन माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं जिन्होंने यह कहा कि आपको नहीं करना चाहिए, आप देखेंगे कि नई फसल जो महीने भर में चालू हो जाएगी, अगर हम नहीं करेंगे तो वह तो सपोर्ट प्राइस है। This is a minimum supportive price and not procurement price. मगर भाव इस भाव से नीचे गिरते हैं तो वह डिस्ट्रेस सेल हो जाएगी और आदमी आतंकित होकर, घबरा कर, अपना माल फेंक देगा और समझेगा कि बिक नहीं रहा है, इसलिए दो सौ में ही बेच दो। इसलिए मैंने कहा कि उसका एक स्तर बनाये रखा गया है ताकि उसको कोई नुक्सान न हो और वह अपनी उदर पूर्ति कर सके। ऊपर की तो हमने खुली छूट दी हुई है। हमने किसी तरह से भी किसान को मना नहीं किया है। वह कहीं भी बेच सकता है और कहीं भी ले जा सकता है। माननीय सदस्यों ने जो प्रश्न उठाये हैं उनको फूड मिनिस्ट्री हैन्डल करती है। फूड एण्ड सप्लाई मिनिस्ट्री के सामने मैं आपका दृष्टिकोण रख दूंगा। इम्पोर्ट की बात भी वही मिनिस्ट्री करती है। इसको कौन चलाएगा, होर्डिंग को कैसे रोकना है, डिहोर्डिंग कैसे करना है, होर्डिंग के खिलाफ कैसा कानून बनना चाहिए, उसका कैसे निदान करना है, ये सब बातें वही करते हैं। आपने जितनी चेतना मुझे दी है, जो सुझाव दिये हैं, इन सारी बातों को किस तरीके से करना है जिससे कोई बीच में खा न जाए और कंज्यूमर तक खाने की चीजें पहुंच सकें, इन सारे चीजों को उनको करना है।

महामना, हमारे माननीय सदस्यों ने कहा कि पैडी का क्यों नहीं किया? मैं यह कहना चाहता हूं कि पैडी का तो पहले ही कर दिया। उसमें 25 रु० की बढ़ोतरी कर दी थी। अब गेहूं के भाव बढ़ाये गये हैं। हम इसको और ज्यादा भी बढ़ा सकते थे। लेकिन फिर वही बात होगी कि गरीब क्या खाएगा। हमें किसान का भी ध्यान रखना है।

श्रीमती मीरा बास : बड़े बड़े किसानों का ध्यान रखा है।

श्री बलराम जाखड़ अगर आप बड़ों और छोटों की बात पर उतर आएंगे तो इसमें बहुत कुछ लेखा-जोखा करना पड़ेगा। इस देश में बड़ा कौन है और छोटा कौन है, किस के पास पैसा है, कौन सर्वहारा हो रहा है और कौन भूखों मर रहा है, इसको आप देखेंगे तो आपको यह भी देखना पड़ेगा कि सीलिंग आपने किस के लिए लगा रखी है। जो अपनी रोटी कमाता है, जो किसान दिन-रात मेहनत करता है और आप यह जानते हैं कि आपने साढ़े सात हैक्टियर की सीलिंग लगा रखी है, किसी के पास इससे ज्यादा जमीन नहीं हो सकती है तो आप कैसे इन बातों को कह सकते हैं। इसके लिए आप मुझे या सरकार को या किसी को भी दोष क्यों देते हैं?

SHRI RAMNARAYAN GOSWAMI: What steps have you taken to strengthen the PDS?

SHRI BALRAM JAKHAR: I am telling you that the PDS is with another Ministry. I said that I would convey all your feelings to that Ministry. They must make arrangements so that they give you something. I am not just intruding myself into that. It will not be good.

SHRI RAMNARAYAN GOSWAMI: You are shedding crocodile tears. I want to know what steps you have taken to strengthen the Public Distribution System.

SHRI BALRAM JAKHAR: That is what I am telling you that the Prime Minister made a statement. He explained about it. The concerned Ministries are the Food Ministry and the Civil Supplies and Public Distribution Ministry. There are two other Ministries which handle this project. So, I should not just speak about something which I don't know because a little knowledge is a very dangerous thing I don't wnat to get trapped myself into it. So, I want to confine myself to my subject.

तो मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारा काम यह है कि हम ठीक ढंग से उत्पादन की शक्ति किसान को प्रदान करें। आपने पूछा कि छोटे को क्या मिलेगा? मैं यह कहना चाहता हूं कि वह भी कुछ न कुछ बेचेगा। अगर आप सात हैक्टियर वाले को, पांच हैक्टियर वाले को और दो हैक्टियर वाले को नहीं देंगे तो क्या करेंगे? क्या आप चिथड़ों में उनको नहीं देखते हैं? उस दिन मैं सूट पहने हुए बैठा था तो वी० पी० सिंह साहब कहने लगे कि ये हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। क्या मेरा सूट भी राजाओं को खलने लगा है? क्या हम सूट भी नहीं पहन सकते हैं? हम चाहते हैं कि हमारा किसान मुकाबले में चल सके। क्या सूट की ठेकेदारी इन लोगों ने ही ले रखी है जो ब्लेक मार्केटिंग करते हैं? मैं चाहता हूं कि किसान भी सूट पहन कर दिखा सके और यह दिखा सके कि हम में भी अक्कड़ है, शान है, समझने की शक्ति है। हम भी ये चीजें दिखा सकते हैं। ऐसी कोई अन्यथा बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कह सकता हूं। मैं दिखाना चाहता हूं कि हमारे में जान है और हम अपनी जान को हाथ में रखकर अपनी शान को कायम रखने के हक में भी हैं। हम लेकर भी दिखायेंगे। यह जो सारा बना रखा है हमने, न किसी पर सीलिंग लगायी है, न कारखाने पर, न मकान पर, न दौलत पर और न कार पर, किसी चीज पर सीलिंग नहीं लगाई है। मौज कर रहे हैं सारे के सारे। किसान बड़ा हो गया, छोटा हो गया, यह एक तरीके से भद्दा मजाक है किसान के साथ।

We should try to honour them. We should be grateful to the farmer community of this country.

यह हमने किया है इस देश में, यह देखकर हमको करना है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इन सारी चीजों को देखकर उसी हिसाब से हमने किया है और इसी तरह से आगे भी चलाने की कोशिश करेंगे जिससे भुगतान बढ़ा भी हो सके और खाने वालों का पेट भी भर सके और किसान का भी भला हो सके। धन्यवाद।

SHRI RAMNARAYAN GOSWAMI: Sir, I wanted to know specifically... (*Interruptions*). The Minister has not answered my question.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): You can write to him.

SHRI RAMNARAYAN GOSWAMI: I wanted to know specifically whether the CACP agreed to the recommendations of the Expert Committee.

SHRI BALRAM JAKHAR: The CACP takes into account every advice. They take into consideration everything. There is no question of adoption here and there. (*Interruptions*).

SHRI RAMNARAYAN GOSWAMI: Has the CACP accepted the recommendations of the Expert Committee? I want a categorical answer. (*Interruptions*).

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Please sit down. Before I adjourn the House, it is my privilege on behalf of the Chair to wish you all a very enjoyable and delightful festival of Holi, a festival of colour and joy, of unity and happiness, burning down the vice of hatred and social disunity. Particularly, I urge upon all the fellow politicians to celebrate this festival in the unique spirit of sportive Indianness, ever conscious of being the proud sons of this great and noble country. On this eve, I extend my best wishes to all the Members as well as staff of this House for a very happy time.

I adjourn the House till 11 a.m. on 23rd March, 1992.

The House then adjourned at thirteen minutes past five of the clock till eleven of the clock on Monday, the 23rd March, 1992.